

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर(म.प्र.)

क्रमांक 255/2026

ग्वालियर, दिनांक - 22/04/2026

आदेश

माह मई, जून एवं जुलाई 2026 में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक एवं घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 3 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होकर संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

क्र.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	मई	जून	जुलाई
1	श्रीमती नुरुन निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	1		
2	श्रीमती रेनू यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	2		
3	श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	3		
4	सुश्री सोनल सिंह जादौन जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	10		
5	श्रीमती हर्षिता सोनी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16		
6	श्रीमती स्वाति शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	17		
7	सुश्री चाहना शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	24		
8	सुश्री स्वाति गोयल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	27		
9	श्रीमती प्रियंका सोलंकी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	31		
10	सुश्री फाल्गुनी शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		6	
11	सुश्री सौम्या सिंह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		7	
12	सुश्री मानसी बालूजा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		14	
13	श्रीमती अदिति तिवारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		18	
14	सुश्री शिखा रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		20	

15	सुश्री मधुलिका खत्री जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		21	
16	सुश्री ऐका सोनी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		26	
17	सुश्री मेघा सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		28	
18	श्रीमती नुरुन निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर			4
19	श्रीमती रेनु यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर			5
20	श्रीमती पल्लवी बंसल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर			12
21	सुश्री सोनल सिंह जादौन जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर			18
22	श्रीमती हर्षिता सोनी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर			19
23	श्रीमती स्वाति शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर			26
डबरा				
24	श्रीमती सृष्टि बी. शाह, जे.एम.एफ.सी., डबरा	16 17	26	26
25	श्रीमती आयूषी अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., डबरा	10	14 28	4
26	श्री अर्पित जैन, जे.एम.एफ.सी., डबरा	03 31	06 07	12
27	श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., डबरा	24 27	18	5
28	सुश्री नेहा सिंह परमार, जे.एम.एफ.सी., डबरा	01 02	20 21	18 19
भितरवार				
29	श्रीमती पूनम कटारिया जे.एम.एफ.सी., भितरवार	16 17 24 27	26 28	12
30	श्री संजय जैन, जे.एम.एफ.सी., ग्वालियर	01 02 03 31	14 20 21	26
31	श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह, जे.एम.एफ.सी., ग्वालियर	10	06 07 18	04 05 18 19

आवश्यक निर्देश

- 1- सामान्य कार्य दिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो माह **मई, जून एवं जुलाई 2026** में अवकाश घोषित किये जाने पर अवकाश दिनांक को रिमान्ड निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

ए. ग्वालियर में माह मई, जून एवं जुलाई 2026 में सुश्री चाहना शर्मा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर, डबरा में श्री अर्पित जैन जे.एम.एफ.सी. डबरा, भितरवार में श्री श्रीमती पूनम कटारिया, जे.एम.एफ.सी. भितरवार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

बी. इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिए नियत की गई रिमांड ड्यूटी निरस्त मानी जावेगी तथा यदि उसके स्थान पर किसी दूसरे दिन अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में वही न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करेगा, जिसकी पूर्व में निरस्त अवकाश वाले दिन रिमाण्ड ड्यूटी थी।

- 2— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमाण्ड ड्यूटी हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट के स्थान पर आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करना होगा। यदि किन्हीं कारणवश संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी के समय तक स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर पदस्थापित मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है या स्थानांतरित मजिस्ट्रेट के स्थान पर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की पदस्थापना ही नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी:—

ग्वालियर में माह मई, जून एवं जुलाई 2026 में सुश्री चाहना शर्मा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर, डबरा में श्री अर्पित जैन जे.एम.एफ.सी. डबरा, भितरवार में श्री श्रीमती पूनम कटारिया, जे.एम.एफ.सी. भितरवार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

- 3— भितरवार स्थित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी का कार्य डबरा तहसील मुख्यालय के उपलब्ध रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
- 4— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जब भी मुख्यालय अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, तो उसमें यह अवश्य उल्लिखित करें कि जिन दिनांकों में मुख्यालय अवकाश चाहा गया है, उनमें उनकी रिमाण्ड ड्यूटी नहीं है और यदि उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है, तो अपने आवेदन पर अपने साथी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांकों पर रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर आवेदन प्रेषित करें। अवकाश आवेदन अथवा मुख्यालय अवकाश आवेदन पर उक्त के संबंध में उल्लेख न होने की दशा में आवेदन के अग्रेषित न हो पाने का जोखिम स्वयं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा।
- 5— पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

सुश्री / -
(प्रशान्त पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर

पृष्ठांकन क्रमांक-255/2026

ग्वालियर दिनांक. 22/04/2026

- 1— कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (निरीक्षण) महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— समस्त न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर/डबरा/भितरवार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5— कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं एस.डी.ओ.पी. ग्वालियर /डबरा /भितरवार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6— सचिव बार एसोसियेशन ग्वालियर/डबरा/भितरवार जिला ग्वालियर की ओर अवगत कराये जाने हेतु।
- 7— केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8— जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9— सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आदेश समस्त न्यायाधीशगण ग्वालियर/डबरा/भितरवार के ई.मेल पर अपलोड किये जावें।

सुश्री / -
(प्रशान्त पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर